संख्या-1022/22-2-2014-17(51)/2011

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विशेषभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, निवासी जनपद-जौनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19772/पर-3(एम-17-07-2014) दिनांक-17-07-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी ग्राम-गुलालपुर, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर का निवासी है। जायदाद के बटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27-09-1988 की रात्रि लगभग 10:30 बजे अपने ही परिवार के विन्ध्यवासिनी लाल के घर में घुसकर बाकों से मारकर 05 व्यक्तियों व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/88 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 20-06-1991 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26-04-1993 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-07-2014 तक 25 वर्ष 08 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का एक सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, विवाद समाप्त नहीं हुआ है आादि के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, जौनपुर द्वारा बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है आादि के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है, विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्टक्-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-15911) पुत्र श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम-गुलालपुर, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर की फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1022/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-1022/22-2-2014-17(51)/2011

दिनांक अक्टूबर, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, अगरा में निरूद्व कि बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, जिला-जौनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरीशचन्द्र वास्तव, ग्राम-गोना, थाना-नारहट, जिला-जौनपुर का निवासी है। जायदाद के बटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27-09-1988 की रात्रि लगभग 10:30 बजे अपने ही परिवार के विन्ध्यवासिनी लाल के घर में घुसकर बाकों से मारकर 05 व्यक्तियों व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/88 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 20-06-1991 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26-04-1993 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-07-2014 तक 25 वर्ष 08 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 04 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का एक सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, विवाद समाप्त नहीं हुआ है आादि के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, जौनपुर द्वारा बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है आादि के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है, विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्टक्-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्मयक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(दिनेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in